भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. +150

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

क्षतिग्रस्त पर्यटन स्थलों का रखरखाव

+150. श्री अमर शंकर साबलेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षतिग्रस्त पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है और क्या सरकार के पास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनमें सुधार करने हेतु कोई राज्य-वार योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति में सुधार कब तक हो जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के.जे. अल्फोंस)

(क) और (ख) : पर्यटक स्थलों का विकास और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है । यद्यपि पर्यटन मंत्रालय अपनी स्कीमों अर्थात् तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रशाद) और "देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास, स्वदेश दर्शन (एसडी)" के अंतर्गत पर्यटक स्थलों के अवसंरचना विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों प्राप्ति, निधियों की उपलब्धता, पूर्व जारी निधि के लिए लम्बित उपयोग प्रमाण पत्र के परिसमापन और संगत योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ।

प्रशाद और स्वदेश दर्शन योजनाओं के अंतर्गत और अधिक गंतव्यों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें केवल संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर विचार किया जाता है ।

****